न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथना, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 32/2021

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

– वादी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र सोना
2. देवकरण पुत्र सोना
3. वंशी पुत्र सोना
4. मालाराम पुत्र सोना
   समस्त जाति बलाई निवासी भगेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
5. शिम्भूदयाल स्वामी पुत्र सालगराम जाति स्वामी निवासी कस्बा नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 रा0का0अ0 1955

उपस्थित –

1. तहसीलदार नीमकाथाना पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक – 12/03/2021

वाद वादी संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 741 रकबा 0.06 हैक्टे0 किस्म [illegible]म. 2 राजस्व ग्राम भगेश्वर तहसील नीमकाथाना स्थित है। जिसके खातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 दर्ज रिकार्ड है एवं अनूसूचित जाति से सम्बन्धित है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 जो कि अनूसूचित जाति से सम्बन्धित है ने उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र 202101014000290 दिनांक 22.02.2021 प्रतिवादी सं0 5 जो कि गैर अनूसूचित जाति (अन्य पिछडा वर्ग) से सम्बन्धित है को उप पंजीयक पाटन के समक्ष उपस्थित होकर बेचान कर दिया। नायब तहसीलदार एवं उप पंजीयक पाटन द्वारा वादी तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Scanned with CamScanner

करने पर प्रकरण रा0का0अ0 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन होने से प्रश्नगत भूमि को राजकीय घोषित कराने हेतु वाद न्यायालय हाजा के समक्ष पेश हुआ है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत भूमि को राजकीय घोषित कर प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जावें। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी, विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2021 की प्रति पेश की।

वाद पत्र वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी व विक्रय पत्र ही पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य होने से अन्य कोई साक्ष्य की आवश्यकता नही होने से बहस हेतु निवेदन किया। बहस एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस पैरोकार सरकार तहसीलदार नीमकाथाना ने वाद पत्र में अंकित कथनों का दोहरान कर कथन किया कि निष्पादित विक्रय पत्र रा0का0अ0 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन है अतः प्रश्नगत भूमि को राजकीय घोषित कर प्रतिवादीगण को बेदखल करने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद अभिलेख, का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया। जिसके अनुसार निम्न तथ्य जाहिर आये है :–

1. प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 741 रकबा 0.06 हैक्टे0 किस्म बा. 2 राजस्व ग्राम भगेश्वर तहसील नीमकाथाना वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है जो कि अनूसूचित जाति से सम्बन्धित है।
2. प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 741 रकबा 0.06 हैक्टे0 किस्म बा. 2 कृषि भूमि है।
3. उप पंजीयक पाटन के समक्ष निष्पादित विक्रय पत्र 202101014000290 दिनांक 22.02.2021 में विक्रेता प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 जो कि अनूसूचित जाति से सम्बन्धित है ने क्रेता प्रतिवादी सं0 5 जो कि गैर अनूसूचित जाति (अन्य पिछडा वर्ग) से सम्बन्धित है को बेचान किया है। एवं विक्रय पत्र में कब्जा अन्तरण भी स्वीकार किया है।
4. उप पंजीयक पाटन के समक्ष निष्पादित विक्रय पत्र 202101014000290 दिनांक 22.02.2021 की पुश्त पर नियम 39 का ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Scanned with CamScanner

5. अतः रा0का0अ0 1955 की धारा 42 (बी) के अनुसार :–

42. General restrictions on sale, gift and bequest— The sale, gift or bequest by a Khatedar tenants of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if —

(a) Omitted.

(b) **such sale, gift or bequest is by a number of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who in not a member of the Scheduled Tribe.**

6. रा0का0अ0 1955 की धारा 42 (बी) के उल्लंघन होने पर रा0का0अ0 1955 की धारा 175 में प्रावधान है कि :–

175. Ejectment for illegal transfer or sub-letting— (1) If a tenant transfers or sub-lets, or executes an instrument purporting to transfer or sub-let, the whole or any part of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act and the transferee or sub-lessee or the purported transferee or sub-lessee has entered upon or is in possession of such holding or such part in pursuance of such transfer or sub lease, both the tenant and any person who may have thus obtained or may thus be in possession of the holding or any part of the holding, shall on the application of the land holder, be liable to ejectment from the area so transferred or sub-let or purported to be transferred or sub-let.

(2) To every application, under this Section the transferee or the sub-tenant or the purported transferee or the sub-tenant, as the case may be, shall be joined as a party.

(3) On an application being made under this section, the court shall issue a notice to the opposite party to appear within such time as may be specified therein and show cause why he should not be ejected from the area so transferred or sublet or purported to be transferred or sub-let.

(4) If appearance is made within the time specified in the notice and the liability to ejectment is contested, the court shall, on payment of the proper court fees, treat the application to be a suit and proceed with the case as a suit:
Provided that in the event of the application having been made by a Tehsildar in respect of land held directly from the State Government no court-fee shall be payable.

(4-a) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (4), if the application is in respect of contravention of the provision contained in section 42 or the proviso to subsection (2) of section 43 or section 49-A, the court shall, after giving a reasonable opportunity to the parties of being heard, conclude the enquiry in a summary manner and pass order as may be practicable

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर फर्स्ट क्लास नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Scanned with CamScanner

within a period of three months from the date of the appearance of the non-applicants before it, directing ejectment of the tenant and his transferee or sub-lessee from the area transferred or sub-let in contravention of the said provisions.

(5) If no such appearance is made, or if appearance is made but the liability to ejectment is not contested the court shall pass order on the application as it may deem proper.

अतः प्रकरण में रा0का0अ0 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन होना एवं वाद पत्र रा0का0अ0 1955 की धारा 175 में सिद्ध होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 741 रकबा 0.06 हैक्टे0 किस्म बा. 2 स्थित राजस्व ग्राम भगेश्वर तहसील नीमकाथाना को राजकीय सिवाय चक घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि को कब्जेराज लेवें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:44:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner